बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई 1982 ई०

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—गत सत्र के अनागत अल्पसूचित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों का सभा-पटल पर रखा जाना।	1
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 96, 98, 99 एवं 102 ..	2—9
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 एवं 2920	9—30
परिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	31—62
परिशिष्ट-2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	63—235
शुद्धि निबन्ध	236

---

*टेप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

(2) क्या यह बात सही है कि हरिजनों को मकान बनाने हेतु सरकारी योजना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त हरिजन ग्रामों में मकान बनाने के संबंध में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, कल्याण विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। हरिजनों के गृह-निर्माण की सरकारी योजना है, लेकिन भूमिहीन हरिजनों के गृह-निर्माण की योजना कल्याण विभाग में संचालित नहीं है। विभाग द्वारा वैसे हरिजन परिवारों के गृह-निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है जिन्हें अपनी जमीन उपलब्ध है अथवा वासगीत जमीन है जिस पर गृह-निर्माण कराया जा सके।

(3) प्रश्न (2) के उत्तर के आलोक में यह प्रश्न नहीं उठता।

राशि का भुगतान

प्र-63. श्री मो० मुस्ताक—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत किशनगंज अनुमंडल में अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय की स्थापना 9 अक्टूबर 1978 को की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने उक्त कार्यालय की स्थापना के समय ही विशेष अनुदान के रूप में आठ हजार रुपया उपस्कर आदि के लिये स्वीकृत किया था।

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 1978-79 एवं 1979-80 में भी 8,000 रु० प्रतिवर्ष विशेष अनुदान की स्वीकृति दी थी जो आयव्यय एवं लेखा पदाधिकारी, पटना द्वारा अबतक प्रदान नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त राशि का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(1) हां, राज्यादेश संख्या 3060, दिनांक 1 नवम्बर 1978 द्वारा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय की स्थापना की गयी थी।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है आकस्मिकता मद में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 8,000 रु० का उपबन्ध अन्य मद में उपस्कर आदि पर व्यय हेतु था।

(3) उपस्कर क्रय करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप धावंटन प्रदान नहीं किया जा सका।

(4) वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस हेतु स्थानीय कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा कर यथोचित राशि की व्यवस्था कर दी जायगी।